FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जगदीर सिंह बनाम मनोज वर्मा वगै0

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट, मुकदमा नम्बर - 37 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.05.2024	प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामील पत्रावली दिनांक 24.05.2024 को पेश हों। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
09.05.2024	वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 24.05.2024 से पूर्व तलब की जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में टाईपिंग मिस्टेक से वास्तविक खसरा नम्बर अनुतोष में दर्ज होने से छूट जाने से उक्त प्रार्थना पत्र टी.आई0 को विड्रा कर नया प्रार्थना पत्र टी.आई0 प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र टी.आई0 को विड्रा किया जाकर खारिज किये जाने एंव नया प्रार्थना पत्र टी.आई0 पेश किये जाने की [illegible] दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.05.13 17:35:57 IST
Reason: SelfAttested